भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4825
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

असम में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

†4825. श्री अमरसिंग टिस्सोः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में, विशेषकर कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और जिला अस्पतालों की संख्या सहित स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन करने और अतिरिक्त स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों को नियुक्त करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) असम में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों की स्थिति क्या है और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने असम में कुपोषण और जीवनशैली संबंधी बीमारियों के प्रसार के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान असम में सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, राज्य में आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने और आयोजना, कार्यान्वयन, अनुरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी संसाधन क्षमता के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्यों द्वारा पीआईपी में आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन और अतिरिक्त स्वास्थ्य परिचर्या व्यावसायिकों की तैनाती का प्रस्ताव किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना का विवरण निम्न लिंक पर उपलब्ध हैः

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच + एन) कार्यनीति के कार्यान्वयन में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है। एनएचएम के तहत, भारत सरकार विभिन्न मातृ स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम जैसे जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), मां का पूर्ण स्नेह (एमएए), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) स्कंधों की स्थापना, शिशु-जन्म प्रतीक्षालय (बीडब्ल्यूएच), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), सुविधा-केंद्र आधारित नवजात देखभाल, कंगारू मदर केयर (केएमसी), नवजात और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित देखभाल, स्टॉप डायरिया पहल, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी), और सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) कार्यान्वित करती है। असम राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, राज्य में कुपोषण की व्याप्तता को कम करने के लिए 29 पोषण पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) कार्यशील हैं। चिकित्सीय जटिलता वाले कुपोषित बच्चों को गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) के प्रबंधन और उपचार के लिए एनआरसी में रेफर किया जाता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के ईट राइट इंडिया अभियान के माध्यम से जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वस्थकर भोजन को बढ़ावा दिया जाता है। भारत सरकार "फिट इंडिया मूवमेंट" जैसे देशव्यापी आंदोलनों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता सृजन पर ध्यान केंद्रित करती है जहां लोगों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम -एबीएचआईएम) और 15वें वित्त आयोग के तहत असम राज्य को वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक केंद्र द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**एनएचएम**	**पीएम- एबीएचआईएम**	**15वां वित्त आयोग**
1	2019-20	1749.24	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2	2020-21	1807.48	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3	2021-22	1955.93	57.90	272.25
4	2022-23	1981.83	2.26	-
5	2023-24	2257.06	91.45	-

*****